

I ku vpy fdl ku I ?k"kl I fefr

12, प्रसिडेन्ट चेम्बर, पटना-800001

कैम्प-लखनऊ

20.08.1991

प्रिय कल्याण सिंह जी,

सोन अंचल के किसान सोन एवं इसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, पेय-जल, पशुपालन, नौ परिवहन एवं अन्यान्य कायोग के लिये विगत 117 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके आधार पर बिहार के सोन अंचल में शताब्दी पुरानी सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली का कमिक विकास हुआ है। इससे बिहार के आठ जिलों भेजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और पटना में करीब 22.60 लाख एकड़ उपजाऊ भूमि की सिंचाई आज हो रही है।

रिहन्द परियोजना (1960) और बाणसागर समझौता (1973) में सोन जल पर बिहार के चिर उपभेगाधिकार को मान्यता दी गयी है। रिहन्द परियोजना में स्पष्ट उल्लेख है कि रिहन्द जल का जल विद्युत उत्पादन के अलावा कोई अन्य खपत उपयोग उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं किया जायेगा और बिहार को सोन सिंचाई प्रणाली के लिये रिहन्द जलाशय से नियमित और निरन्तर 5000 क्यूसेक जलप्रवाह होता रहेगा। बाणसागर समझौता में भी बिहार की शताब्दी पुरानी सोन सिंचाई प्रणाली के लिये 50 लाख एकड़ फीट पानी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद शेष पानी में से तीनों सह-घाटी रज्यों-बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को क्रमशः 27.50, 12.50 और 52.50 लाख एकड़ फीट पानी आवंटित हुआ है। इन समझौता में भी उत्तर प्रदेश की रिहन्द जलाशय के पानी पर जल-विद्युत उत्पादन के अलावा कोई अन्य खपत उपयोग का अधिकार नहीं दिया गया है और रिहन्द जलाशय का पूरा पानी बिहार को सोन सिंचाई प्रणाली में उपयोग हेतु इन्द्रपुरी बराज पर दिया गया है।

परन्तु, पिछले 10 वर्षों से बाणसागर समझौता के मुताबिक रिहन्द जलाशय का पूरा पानी इन्द्रपुरी बराज पर नहीं मिल रहा है और दिनो-दिन रिहन्द जलाशय से बिहार की सोन सिंचाई प्रणाली को मिलने वाले पानी की मात्रा घटते जा रही है। नतीजतन हर साल सोन अंचल की एक चौथाई फसल पानी के अभाव में नष्ट हो जा रही है। जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि रिहन्द परियोजना के अनुसार 5000 क्यूसेक का नियमित जल प्रवाह सुनिश्चित हो जाने के बाद बिहार सरकार ने सोन सिंचाई प्रणाली का विस्तार कर दो उच्च स्तरीय नहरों का निर्माण किया, पुरानी सोन नहरों का रिसाइलिंग किया और इन्द्रपुरी में नया बराज का निर्माण किया। इस पर 100 करोड़ रुपया का व्यय हुआ।

बिहार की सोन सिंचाई प्रणाली के लिये आवंटित रिहन्द जलाशय के पानी का खपत उपयोग बिहार को सूचना दिये बगैर अनधिकृत रूप से सिगरौली क्षेत्र के ताप बिजली घरों के लिये किया जा रहा है। बिडम्बना है कि रिहन्द जल में हिस्सा नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश को पूर्ववर्ती सरकारों ने ताप बिजली घरों में रिहन्द जल का उपयोग करने की इजाजत एन.टी.पी.सी. को दे दिया और अपने बिजली घरों के लिये भी इसका उपयोग करने लगे। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय और बाणसागर कंट्रोल बोर्ड की क्रमशः, 4 जून 1983 और 29 अक्टूबर 1982 की बैठकों में एन.टी.पी.सी. ने स्वीकार किया है कि वह उत्तर प्रदेश की अनुमति से रिहन्द जलाशय से करीब 10 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग ताप बिजली घरों के लिये कर रहा है, जब रिहन्द जल पर उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ताप बिजली घरों को पानी देने के चलते उत्तर प्रदेश के रिहन्द पनबिजली केन्द्र का संचालन भी अनियमित हो गया है। नतीजतन दन्द्रपुरी बराज पर बाणसागर समझौता के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है।

एन.टी.पी.सी की रिपोर्ट "इन्टीग्रेटेड थर्मल पावर डेवलेपमेन्ट ऐट सिगरौली इन यू.पी.एण्ड.एम.पी." के अनुसार रिहन्द घाटी में कुल करीब 23000 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली घर स्थापित होते हैं और इनके मुताबिक रिहन्द नदी में पानी की सालाना आमद करीब 35 लाख एकड़ फीट है। इसमें 9 लाख एकड़ फीट बिहार के लिये। सभी ताप बिजली घर बन जायेगा तो दनमें रिहन्द जलाशय का करीब 25 लाख एकड़ फीट पानी खर्च हो जायेगा। ऐसी स्थिति में बिहार की सिंचाई के लिये रिहन्द जलाशय से एक बून्द भी पानी नहीं मिलेगा। इसका नतीजा होगा कि बिहार में 'अनाज का कटोरी' कहा जाने वाला सोन अंचल बजर हो जायेगा और शताब्दी पुरानी सुनिश्चित सोन नहर प्रणाली ध्वस्त हो जायेगी। सोन एक सहायक नदियों में पानी की कुल उपलब्धि, निमित निर्माणाधीन और प्रस्तावित ताप बिजली घरों के लिये पानी की कुल आवश्यकता और इसके चलते इन्द्रपुरी बराज पर सोन नहरों के लिये पानी की कमी को क्रमशः अनुलग्नक—

1 और 2 पर तालिकाओं में प्रदर्शित किया गया है।

ऐसी स्थिति में सोन अंचल को सर्वनाश के संकट से बचाने के लिये आवश्यक है कि :-

1. रिहन्द घाटी प्रस्तावित ताप बिजली घरों की स्थापना पर रोक लगायी जाय।
2. निर्मित एवं निर्माणाधीन ताप बिजली घरों में उपयोग हो रहे बिहार के हिस्से के पानी को क्षतिपूर्ति की जाय। इस संबंध में 4 जून 1983 को भारत सरकार के सिंचाई सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय को लागू किया जाये।
3. आवश्यक प्रतीत हो तो प्रस्तावित ताप बिजली घरों के निर्माण के लिये गोद एवं बनास घाटियों में उपयुक्त स्थलों की तलाश की जाय और इसके लिये पानी की जरूरत पूरा करने के लिये पानी की जरूरत पूरा करने के लिये मध्य प्रदेश को राजी किया जाय।
4. तीनों सी-घाटी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय जलनीति के आलोक में बाणसागर समझौता में आवश्यक संशोधन किया जाय ताकि इन्द्रपुरी बराज पर बिहार पर सिंचाई के लिये पूर्व निर्धारित मात्रा में 57.50 लाख एकड़ फीट पानी मिलता रहे। इसमें प्राथमिकता के आधार पर मिलने वाला 50 लाख एकड़ फीट पानी भी शामिल है।
5. कनहर एवं नार्थ कोयल घाटी से पलामू एवं औरंगाबाद जिला के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये 20 लाख एकड़ फीट और गंगा नदी से सोन अंचल के अन्तिम क्षेत्र वाले इलाकों के लिये 2.5 लाख एकड़ फीट पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जाये। इस बारे में उत्तर-प्रदेश आपतियां वापस ले।
6. सोन जल पर ताप बिजली घरों के पर्यावरण प्रभाव का आकलन कराया जाय।

महोदय, बिहार के सोन अंचल को समतल उपजाऊ और सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली युक्त धरती को विनाश के संकट से बचाना राष्ट्र-हित का कार्य है और इसकी जिम्मेदारी समान रूप से प्रत्येक भारतीय की है। अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रहित और किसान हित में उपरोक्त बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय और सोन अंचल को सर्वनाश के संकट से बचाने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाय।

इसके लिये सोन अंचल की जनता आपका आभारी रहेगी।

सादर,

सेवा में,
श्री कल्याण सिंह,
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

भवदीय
21/2/84
I j; wjk;